

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 445 / आर 1133 /चार/ब-1/ 09

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2012

प्रति,

1. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय - वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट आवंटन की व्यवस्था।

बजट नियंत्रण अधिकारियों (Budget Controlling Officer/ BCO) द्वारा प्रतिवर्ष अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (Drawing & Disbursing Officer/ DDO) को, उनकी आवश्यकता के आधार पर, विभिन्न मदों में बजट आवंटन कोष एवं लेखा के सर्वर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध कराये जाने वाले आवंटन में कुछ अपरिहार्य एवं नियमित प्रकृति के व्यय से संबंधित मदों का DDO वार वास्तविक आवश्यकता का आकलन न हो पाने से इन मदों में DDO को आवश्यकता से कम अथवा अधिक आवंटन उपलब्ध हो जाता है, फलस्वरूप BCO के अन्तर्गत संकलित रूप से पर्याप्त आवंटन उपलब्ध रहने के उपरान्त भी कतिपय DDO पर्याप्त आवंटन के अभाव में इन मदों से आहरण नहीं कर पाते हैं।

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त कठिनाई का ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 से कोष एवं लेखा के माध्यम से जारी किये जाने वाले आवंटन की प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए चिन्हित मदों में **केन्द्रीयकृत बजट आहरण व्यवस्था** लागू की जा रही है।

1. प्रथमतः निम्न मदें चिन्हित की गई हैं, जो अपरिहार्य एवं नियमित प्रकृति के व्यय से संबंधित हैं तथा इन मदों का **DDO वार आवंटन जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है**।

स.क्र.	मद
1	उद्देश्य शीर्ष 11 - वेतन भत्ते अन्तर्गत
	001 - वेतन
	003 - मंहगाई भत्ता
	004 - वाहन भत्ता
	005 - आदिवासी क्षेत्र भत्ता
	006 - मकान किराया भत्ता

स.क्र.	मद
	008 - अन्य भत्ते
	011 - अनाज अग्रिम
	016 - त्यौहार अग्रिम
	021 - विशेष वेतन
	028 - ग्रेड पे
2	उद्देश्य शीर्ष 16 - वेतन भत्ते अखिल भारतीय सेवा अन्तर्गत
	001 - वेतन
	003 - मंहगाई भत्ता
	005-आदिवासी क्षेत्र भत्ता
	006 - मकान किराया भत्ता
	008 - अन्य भत्ते
	028 - ग्रेड पे
3	उद्देश्य शीर्ष 17 - वेतन भत्ते- विधायक मंत्री अन्तर्गत
	001 - वेतन
	003 - मंहगाई भत्ता
	008 - अन्य भत्ते
	022 - समचुअरी भत्ता
	023 - निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
	024 - दैनिक भत्ता
4	उद्देश्य शीर्ष 18 - वेतन भत्ते- न्यायिक सेवा अन्तर्गत
	001 - वेतन
	003 - मंहगाई भत्ता
	005 - आदिवासी क्षेत्र भत्ता
	006 - मकान किराया भत्ता
	022 - समचुअरी भत्ता
	028 - ग्रेड पे
5	उद्देश्य शीर्ष 21 - यात्रा भत्ता अन्तर्गत
	001 - यात्रा भत्ता दौरे आदि पर
	002 - यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर
6	उद्देश्य शीर्ष 22 - कार्यालय व्यय अन्तर्गत
	002 - दूरभाष व्यय
	005 - बिजली एवं जल प्रभार

BCO द्वारा उपरोक्त मदों में DDO को पृथक से बजट आवंटन जारी कर उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इन मदों में DDO द्वारा कोषालय में देयक प्रस्तुत किये जाने पर BCO के बजट को तत्काल (on real time basis) संचालनालय कोष एवं लेखा के केन्द्रीय सर्वर द्वारा स्वतः ही संबंधित DDO को उपलब्ध कराया जायेगा। इस व्यवस्था से DDO को न तो बजट की कमी होगी एवं

न ही उनके पास अनावश्यक रूप से अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध रहेगा। नवीन व्यवस्था अंतर्गत BCO द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

- i. BCO एवं DDO को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि Post Database /Pay Record Database/Employee Database की उसी बजट लाईन से मिलान (mapping) हो, जिससे DDO को उक्त पद के वेतन आहरण की अनुमति BCO द्वारा दी गई है। त्रुटिपूर्ण mapping की स्थिति में वेतन का आहरण नहीं हो सकेगा।
 - ii. BCO एवं DDO द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वेतन मद के प्रावधान उसी उद्देश्य शीर्ष में किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत आहरण की पात्रता है। यदि विभाग द्वारा पात्रता से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष में प्रावधान कराया गया है, जिसके अन्तर्गत उक्त पद हेतु वेतन/भत्तों के आहरण की पात्रता नहीं है तो वेतन आहरण संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में तत्काल संशोधन/पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जावें।
 - iii. BCO का यह दायित्व होगा कि वित्तीय वर्ष के दौरान वे नियमित रूप से केन्द्रीयकृत बजट आहरण से संबंधित मदों सहित अन्य समस्त मदों के अन्तर्गत उपलब्ध शेष बजट आवंटन की समीक्षा करे एवं प्रत्येक मद में आवश्यकतानुसार यथासमय केन्द्रीय सर्वर पर पर्याप्त बजट उपलब्ध रखना सुनिश्चित करे, ताकि कोषालयों में BCO के अधीनस्थ DDO के वेतनादि के देयक बगैर किसी बाधा के पारित हो सकें। BCO के पास पर्याप्त बजट आवंटन के अभाव में केन्द्रीय बजट आहरण से संबंधित मदों के देयक किसी भी कोषालय से पारित नहीं हो सकेंगे।
 - iv. केन्द्रीयकृत बजट आहरण के लिए निर्धारित मदों से आहरण करते समय DDO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि देयक पात्रता अनुसार उसी लेखा शीर्ष (मांग संख्या, लेखाशीर्ष, योजना शीर्ष एवं सेगमेंट कोड) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत संबंधित स्थापना हेतु बजट स्वीकृत है एवं देयक में उल्लेखित मदों से आहरण के लिए उसे BCO द्वारा अधिकृत किया गया है। पात्रता अनुसार लेखाशीर्ष से आहरण जवाबदारी संबंधित DDO की होगी।
 - v. BCO वार एवं DDO वार बजट आवंटन, व्यय एवं शेष के आंकड़ें कोष एवं लेखा की वेबसाइट www.mptreasury.org पर उपलब्ध हैं।
2. केन्द्रीयकृत बजट आहरण के लिए निर्धारित उपरोक्त मदों में वित्त विभाग द्वारा भविष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा। यदि विभाग अपने अन्तर्गत किसी अन्य मद को भी उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत लाना चाहते हैं तो वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज सकते हैं। वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

3. अन्य मदों में बजट आवंटन व्यवस्था पूर्वानुसार रहेगी।
4. शासकीय कोष से चेक्स/देयक का आहरण करते समय वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एल 1-10/489/चार/ब-7/डीएमसी/11 दिनांक 04/06/2011 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निगमों/मंडलों/संस्थाओं/समितियों आदि को दिये जाने वाले ऋणों को जारी किये जाने के पूर्व वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 585/415/2011/डी एम सी/चार दिनांक 06/07/2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे प्रत्येक ऋण का पृष्ठांकन वित्त विभाग से प्राप्त किया जाये। परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये गये प्रत्येक ऋण के अभिलेखों का संधारण करते हुए प्रत्येक अर्द्धवार्षिक जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर समय सीमा में वित्त विभाग को प्रेषित की जाये।
6. निगम/मंडल/उपक्रम/संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली राज्य शासन की योजनाओं के कियान्वयन हेतु शासकीय कोष से आहरण करते समय वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-3/2009/नियम/चार दिनांक 22 अप्रैल, 2009 निर्देशों का पालन किया जाये। तत्काल आवश्यकता होने पर, प्राप्त योजना अनुसार किस्तों में तथा संस्था के पास संबंधित योजना की 15 प्रतिशत से कम राशि शेष रहने पर ही संचित निधि से आहरण किया जाये। बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज का शासकीय कोष में जामा किया जाये।

बजट आवंटन एवं व्यय की उपरोक्तानुसार व्यवस्था दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से लागू होगी। बजट अनुमान 2012-13 के आंकड़े भी उपलब्ध हो चुके हैं, जिनके आधार पर BCOs अपने स्तर पर आवंटन पूर्व तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं ताकि विधानसभा में बजट पारित होने के उपरान्त आवंटन की संसूचना जारी होने पर वे दिनांक 1 अप्रैल, 2012 को अपने अधीनस्थ DDOs को कोष एवं लेखा के सर्वर के माध्यम से आवंटन उपलब्ध करा सकें।



(अमित राठौर)
संचालक बजट एवं सचिव,
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग


पू. क्रमांक 446 / आर 1133 /चार/ब-1/ 09

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2012

प्रतिलिपि :-

- 1- राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
- 3- निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर।

- 4- सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
 - 5- सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र., इन्दौर
 - 6- सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 - 8- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट) 1/2, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
 - 9- संचालनालय, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
 - 10- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
 - 11- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
 - 12- स्टॉफ ऑफिसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, वित्त विभाग
 - 13- समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, म. प्र. शासन, वित्त विभाग
 - 14- समस्त वित्तीय सलाहकार,
 - 15- वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, वित्त विभाग
 - 16- समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग
 - 17- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन।
 - 18- समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
 - 19- समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शालाएँ
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु


 (वीरेन्द्र कुमार)
 अवर सचिव,
 मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग